विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री किरण पाल कश्यप, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
19(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय वर्ष 2016 के बाद कितनी बार बढ़ाया गया है?	शासनादेश संख्या–डी0 1904/सात–न्याय–3–16–33/79 टी.सी.–।।, दिनांक 27.09.2016 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में आबद्ध मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता (लोक अभियोजक), अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता–प्रथम (अपर लोक अभियोजक–प्रथम), स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता–द्वितीय (अपर लोक अभियोजक–द्वितीय) तथा वाद धारक को वर्तमान में देय विभिन्न प्रकार की फीस एवं भत्तों में वृद्धि/निर्धारित की गयी है।
(ख) यदि नहीं, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे?	माननीय उच्च न्यायालय के अपर शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।